**न्यायालय जिला कलक्टर, पाली**
**पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस**

राजस्व अपील :: 41/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/205

| अपीलाण्ट :- | बनाम | रेस्पोडेण्ट्स :- |
|---|---|---|
| हेमाराम पुत्र श्री किस्तुर भाट, निवासी भाटों का बास, आकेली तहसील पाली जिला पाली (राज.) | | सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली जिला पाली (राज.) |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956**
उपस्थित :- अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी
सरकारी पैरोकार

**-:: नि र्ण य ::-**

**दिनांक :- 26.11.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/956 दिनांक 03.06.2025 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1907 दिनांक 16.06.2025 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम उतवण, पटवार हल्का बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाली तहसील पाली जिला पाली की सरहद में स्थित खसरा संख्या 59/2 रकबा 0.0567 हैक्टेयर किसम बारानी दोयम व खसरा संख्या 732/59 रकबा 0.2267 हैक्टेयर किसम बारानी दोयम की कृषि भूमि स्थित है। अपीलाण्ट के पास वाले खेत के खातेदार ओमप्रकाश व जगदीश प्रसाद वैष्णव ने जबरदस्ती तारबंदी कर दी थी, जिस पर अपीलाण्ट व अपीलाण्ट ने मौके से तारबन्दी हटा दी तब ओमप्रकाश व जगदीश प्रसाद के रिश्तेदार छगनलाल वैष्णव ने अपीलाण्ट के परिवार वालों के विरूद्ध सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जिस पर हमारे मिलने वाले व्यक्तियों द्वारा राजीनामा करवाया गया, जिस पर छगनलाल के रिश्तेदार ओमप्रकाश व जगदीश प्रसाद ने अपीलाण्ट को धोखे में रखकर अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 59/2 रकबा 0.0301 हैक्टेयर की कृषि भूमि का राजीनामा करवाने हेतु कहते हुए अपीलाण्ट की कृषि भूमि का समर्पणनामा लिखाकर रेस्पोडेण्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया एवं रेस्पोडेण्ट ने बिना किसी जांच किये अपीलाण्ट को धोखे में रखकर पेश किये समर्पण के आधार पर आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/956 दिनांक 03.06.2025 पारित कर अपीलाण्ट की कृषि भूमि में से रकबा 0.0301 हैक्टेयर रास्ता राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवा दिया जबकि अपीलाण्ट के पास छोटी कृषि भूमि है एवं

अपीलाण्ट के पास छोटी कृषि भूमि है एवं अपीलाण्ट के रास्ते के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त समस्त प्रक्रिया मुगालते में रखकर करवाई गई जिससे अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/956 दिनांक 03.06.2025 व इसकी पालना में दर्ज किये नामान्तरकरण संख्या 1907 दिनांक 16.06.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणशुदा बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तो प्रकट आया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि उसे मुगालते में रखकर समर्पणनामा करवा लिया व उसकी पालना में जैर नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ जो विधि विरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में अभिलेखों के अध्ययन से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जैर नामान्तरकरण, अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वेच्छा से प्रस्तुत होकर किये गये समर्पणनामें के आधार पर ही स्वीकृत किया गया था। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज, प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि उक्त समर्पणनामा को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो अथवा उसके विरूद्ध वाद/अर्जी लम्बित हो। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि जब तक किसी समर्पणनामा अथवा मूल दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त/अमान्य घोषित नहीं किया जाता, तब तक उस मूल दस्तावेज के आधार पर किये गये नामान्तरकरण या अन्य प्रशासनिक आदेशों को स्वतः निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत तहसीलदार पाली के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/956 दिनांक 03.06.2025 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1907 दिनांक 16.06.2025, जो कि एक summary proceeding है में हम किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं।

लिहाजा अपील–अपीलाण्ट सारहीन एवं अविधिक होने से खारिज की जाती है एवं तहसीलदार पाली के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/956 दिनांक 03.06.2025 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1907 दिनांक 16.06.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **26.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
**जिला कलेक्टर, पाली**